



डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का राष्ट्रवाद : सामाजिक लोकतंत्र, बंधुत्व और संवैधानिक राष्ट्र-निर्माण का एक आलोचनात्मक अध्ययन

डॉ अभिषेक सिंह

पोस्ट पोस्टडॉक्टोरल फेलो, भारतीयदर्शन अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

सारांश

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन प्रायः जाति-विरोध, दलित मुक्ति, सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में किया जाता है। निस्संदेह ये उनके चिंतन के केंद्रीय आयाम हैं, किंतु उनके समग्र लेखन को देखने पर स्पष्ट होता है कि उनका बौद्धिक सरोकार राष्ट्र, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, नागरिकता, प्रतिनिधित्व, राज्य, अल्पसंख्यक अधिकार, भाषायी राज्यों, सामाजिक संरचना तथा भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या तक विस्तृत था। इस शोध-पत्र का उद्देश्य अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को उनके प्राथमिक लेखन के आधार पर पुनर्परिभाषित करना है।

लेख का केंद्रीय तर्क यह है कि अम्बेडकर के लिए राष्ट्र केवल साझा भूगोल, राजनीतिक संप्रभुता अथवा सांस्कृतिक समानता से निर्मित इकाई नहीं था। राष्ट्र के निर्माण के लिए सामाजिक संबंधों में ऐसी नैतिक संरचना आवश्यक है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वास्तविक सामाजिक मूल्य बनें। इसी कारण जाति उनके लिए केवल सामाजिक अन्याय की व्यवस्था नहीं बल्कि राष्ट्र-निर्माण के मार्ग में एक संरचनात्मक बाधा थी।

Annihilation of Caste में वे आदर्श समाज को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित बताते हैं तथा लोकतंत्र को केवल शासन-पद्धति नहीं, बल्कि “associated living” की पद्धति के रूप में देखते हैं।¹

इसी सामाजिक दृष्टि का राजनीतिक रूप उनके संवैधानिक चिंतन में दिखाई देता है। States and Minorities, गोलमेज सम्मेलन के जापनों तथा संविधान सभा की बहसों में अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक सुरक्षा, मौलिक अधिकार और संवैधानिक शासन को इस प्रकार समझा कि बहुमत की सत्ता नागरिक समानता को नष्ट न कर सके। आधुनिक अध्ययनों में भी उनके राष्ट्रवाद को इसी प्रकार लोकतंत्र, सामाजिक समानता और बहुमतवाद की आलोचना से जोड़कर पढ़ा गया है।²

अतः यह शोध-पत्र अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को “सामाजिक-संवैधानिक राष्ट्रवाद” के रूप में अवधारित करता है—ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें सामाजिक लोकतंत्र राष्ट्रीय एकता की आधारभूमि, बंधुत्व उसका नैतिक आधार, संविधान उसका संस्थागत ढाँचा और समान नागरिकता उसका राजनीतिक आदर्श है।

प्रमुख शब्द: बी. आर. अम्बेडकर, राष्ट्रवाद, राष्ट्र-निर्माण, सामाजिक लोकतंत्र, जाति, बंधुत्व, संविधानवाद, नागरिकता, अल्पसंख्यक अधिकार, भारतीय सभ्यता।

¹B. R. Ambedkar, “Annihilation of Caste,” in Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, vol. 1 (Mumbai: Education Department, Government of Maharashtra, 1979), 72. BAWS के मूल डिजिटल संस्करण में इसी पृष्ठ पर अम्बेडकर आदर्श समाज को Liberty, Equality and Fraternity पर आधारित बताते हैं और लोकतंत्र को associated living की पद्धति के रूप में समझाते हैं।

²Santosh I. Raut, “Liberating India: Contextualising Nationalism, Democracy and Dr Ambedkar,” Journal of Social Inclusion Studies 5, no. 2 (2019): 172-192. लेख का केंद्रीय विषय ही अम्बेडकर के राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और जाति के संबंध का विश्लेषण है।

1. प्रस्तावना

भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के राजनीतिक संघर्ष का इतिहास नहीं है। इसके समानांतर एक दूसरा प्रश्न भी उपस्थित था—स्वतंत्र भारत किस प्रकार का समाज होगा?

क्या विदेशी शासन के समाप्त हो जाने मात्र से भारत एक आधुनिक राष्ट्र बन जाएगा?

क्या राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक समानता के बिना स्थायी हो सकती है?

क्या समान मताधिकार सामाजिक रूप से असमान समाज को लोकतांत्रिक बना सकता है?

और सबसे महत्वपूर्ण—क्या जाति जैसी जन्माधारित सामाजिक व्यवस्था के भीतर आधुनिक राष्ट्र की बंधुत्वपूर्ण नागरिकता विकसित हो सकती है?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का राजनीतिक चिंतन इन्हीं प्रश्नों के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है।

अम्बेडकर की विशिष्टता इस बात में है कि उन्होंने राष्ट्रवाद की समस्या को केवल “विदेशी बनाम स्वदेशी” के प्रश्न तक सीमित नहीं रखा। उनके लिए यह प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण था कि स्वदेशी समाज के भीतर मनुष्य-मनुष्य के बीच संबंध किस प्रकार के हैं।

यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जन्म के आधार पर निम्न मानता है, यदि सामाजिक संपर्क जाति द्वारा नियंत्रित है, यदि विवाह, भोजन, शिक्षा, व्यवसाय और सार्वजनिक जीवन में जन्माधारित विभाजन कायम है, तो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र समाज में भी वास्तविक नागरिक समानता स्थापित नहीं हो सकती।

इसीलिए अम्बेडकर की राष्ट्र-दृष्टि का प्रारंभ जाति की आलोचना से होता है और उसका चरम संविधानवाद में दिखाई देता है।

2. शोध-समस्या और शोध-अंतराल

अम्बेडकर पर उपलब्ध साहित्य अत्यंत व्यापक है। जाति, अस्पृश्यता, सामाजिक न्याय और संविधान संबंधी उनके विचारों पर पर्याप्त अध्ययन उपलब्ध हैं। किंतु राष्ट्रवाद के संदर्भ में उनकी विचारधारा को कई बार उनके सामाजिक चिंतन से अलग करके देखा गया है।

कुछ अध्ययनों ने अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को लोकतंत्र और समानता से जोड़ा है। संतोष आई. राउत ने अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को जाति-व्यवस्था के विघटन और समतामूलक समाज के निर्माण से जोड़ते हुए यह तर्क दिया है कि उनके लिए वास्तविक राष्ट्र-निर्माण सामाजिक अवरोधों के टूटने से संबंधित था।³

राहुल गोविंद ने 1941-48 के अम्बेडकर के लेखन का विश्लेषण करते हुए बहुमतवादी लोकतंत्र के खतरे और संस्थागत सुरक्षा की आवश्यकता को उनके राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण तत्व माना है।⁴

वात्सल नरेश का हाल का अध्ययन भी यह दिखाता है कि अम्बेडकर की बहुमत की आलोचना केवल सांख्यिकीय बहुमत की आलोचना नहीं थी; वे सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित स्थायी बहुमत और उसके प्रभुत्व की समस्या को समझते थे।⁵

फिर भी एक ऐसा अध्ययन अपेक्षित है जिसमें अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को निम्न चार आयामों को एक साथ रखकर पढ़ा जाए—

³Raut, "Liberating India," 172-192.

⁴Rahul Govind, "Anticipating the Threat of Democratic Majoritarianism: Ambedkar on Constitutional Design and Ideology Critique, 1941-1948," *Studies in Indian Politics* 11, no. 1 (2023): 66-84.

⁵Vatsal Naresh, "'Problems of an Other's Making': B. R. Ambedkar, Caste, and Majoritarian Domination," *American Political Science Review* 119, no. 4 (2025): 1634-1648.

जाति-विरोध; सामाजिक लोकतंत्र; संवैधानिक नागरिकता; भारतीय इतिहास एवं सभ्यता का आलोचनात्मक पुनर्पाठ।

यह शोध इसी अंतराल को भरने का प्रयास करता है।

3. शोध के उद्देश्य

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं—

1. अम्बेडकर की राष्ट्र की अवधारणा का पुनर्निर्माण करना।
2. जाति और राष्ट्रवाद के संबंध का विश्लेषण करना।
3. सामाजिक लोकतंत्र को अम्बेडकर के राष्ट्रवाद की आधारभूत अवधारणा के रूप में स्थापित करना।
4. Who Were the Shudras? के आधार पर उनके भारतीय इतिहास-बोध को समझना।
5. States and Minorities तथा गोलमेज सम्मेलन के दस्तावेजों के माध्यम से नागरिकता और प्रतिनिधित्व की अवधारणा का विश्लेषण करना।
6. भाषायी राज्यों पर उनके विचारों को राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में समझना।
7. संविधान सभा के भाषणों के आधार पर उनके संवैधानिक राष्ट्रवाद की प्रकृति स्पष्ट करना।
8. अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को “सामाजिक-संवैधानिक राष्ट्रवाद” के रूप में अवधारित करना।

4. शोध-पद्धति एवं स्रोत

यह अध्ययन ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक तथा पाठ-आधारित पद्धति पर आधारित है।

प्राथमिक स्रोतों में डॉ. अम्बेडकर के संकलित लेखन और भाषणों के Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches (BAWS) संस्करणों को प्रमुख आधार बनाया गया है।

विशेष रूप से निम्न ग्रंथों का उपयोग किया गया है—

Annihilation of Caste; Who Were the Shudras?; Thoughts on Linguistic States; States and Minorities; गोलमेज सम्मेलन संबंधी ज्ञापन; संविधान सभा की कार्यवाही।

इसके साथ आधुनिक अकादमिक शोधों का उपयोग व्याख्यात्मक संदर्भ के रूप में किया गया है।

इस अध्ययन की पद्धति का मूल सिद्धांत है कि अम्बेडकर की किसी अवधारणा को पहले उनके अपने शब्दों और ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाए और उसके बाद उसका सैद्धांतिक पुनर्पाठ किया जाए।

5. राष्ट्र क्या है? अम्बेडकर की समस्या

राष्ट्रवाद की सामान्य अवधारणाएँ राष्ट्र को भाषा, भूगोल, संस्कृति, इतिहास अथवा राजनीतिक संप्रभुता से जोड़ती हैं। अम्बेडकर का चिंतन इस सूची में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व जोड़ता है—सामाजिक संबंध।

उनके लिए यह पर्याप्त नहीं कि लोग एक ही भूभाग में रहते हों।

उनके बीच ऐसा सामाजिक संबंध भी होना चाहिए जिसमें वे स्वयं को एक साझा राजनीतिक समुदाय का हिस्सा समझें।

यही कारण है कि अम्बेडकर के चिंतन में बंधुत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Annihilation of Caste में अम्बेडकर जाति के कारण उत्पन्न सामाजिक विखंडन की चर्चा करते हुए बताते हैं कि व्यक्ति अनेक बार किसी व्यक्ति के गुणों को उसकी जाति से स्वतंत्र होकर नहीं देखता। जातिगत निष्ठा व्यापक नैतिक निष्ठा पर हावी हो जाती है।⁶

यहाँ राष्ट्रवाद का प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो जाता है।

यदि नागरिक की पहली निष्ठा व्यापक सार्वजनिक समुदाय के बजाय जातिगत समुदाय के प्रति है, तो राष्ट्र की सामाजिक नींव कमजोर होती है।

6. जाति और राष्ट्र : अम्बेडकर का मूल प्रश्न

अम्बेडकर की जाति-आलोचना को केवल सामाजिक सुधार का कार्यक्रम मानना उनके राष्ट्रवाद की एक बड़ी विशेषता को छिपा देता है।

उनके लिए जाति समाज को अनेक बंद समूहों में विभाजित करती है।

जाति— सामाजिक संपर्क को सीमित करती है; विवाह को नियंत्रित करती है; सामाजिक सम्मान का वितरण जन्म के आधार पर करती है; व्यवसाय को वंशानुगत बनाती है; और व्यक्ति की सामाजिक पहचान को जन्म से निर्धारित करती है।

इसका परिणाम यह होता है कि समाज “समाज” के रूप में विकसित नहीं हो पाता।

अम्बेडकर के लिए राष्ट्र निर्माण का अर्थ इसलिए केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं था; इसका अर्थ साझा सामाजिक जीवन का निर्माण भी था।

⁶B. R. Ambedkar, “Annihilation of Caste,” in Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, vol. 1 (Mumbai: Education Department, Government of Maharashtra, 1979), 72.

7. “जाति” के स्थान पर “नागरिकता”

अम्बेडकर की आधुनिकता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे व्यक्ति को जाति-सदस्य से नागरिक में रूपांतरित करना चाहते हैं।

जाति की दृष्टि से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है।

संवैधानिक नागरिकता की दृष्टि से व्यक्ति कानून के सामने समान है।

इसलिए अम्बेडकर का संवैधानिक चिंतन उनके जाति-विरोध का राजनीतिक विस्तार है।

यहाँ उनका राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण रूप ग्रहण करता है—राष्ट्र की इकाई जाति नहीं, नागरिक है।

इस दृष्टि से अम्बेडकर की राष्ट्र-कल्पना सामाजिक पदानुक्रम से नागरिक समानता की ओर संक्रमण की परियोजना है।

8. स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व

अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को समझने के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की त्रयी को समझना आवश्यक है।

Annihilation of Caste में वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनका आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होगा। वे ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें सामाजिक संपर्क के अनेक स्वतंत्र माध्यम हों और समाज के एक हिस्से में होने वाला परिवर्तन दूसरे हिस्सों तक पहुँच सके। इसी संदर्भ में वे लोकतंत्र को “associated living” अर्थात् साथ मिलकर जीने की पद्धति बताते हैं।⁷

⁷Ambedkar, “Annihilation of Caste,” 72.

यहाँ लोकतंत्र केवल मतदान की तकनीक नहीं रह जाता।

वह सामाजिक जीवन का नैतिक स्वरूप बन जाता है।

इसलिए अम्बेडकर का राष्ट्रवाद चुनावी लोकतंत्र से अधिक व्यापक है।

9. बंधुत्व : राष्ट्र का नैतिक आधार

अम्बेडकर के राष्ट्रवाद में बंधुत्व को विशेष महत्व देना आवश्यक है।

स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वायत्तता सुनिश्चित करती है।

समानता व्यक्ति के नागरिक दर्जे को समान बनाती है।

लेकिन दोनों के बावजूद यदि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सामाजिक रूप से अपना समान नहीं मानता, तो समाज में वास्तविक एकता नहीं बनती।

इसलिए बंधुत्व वह तत्व है जो स्वतंत्रता और समानता को सामाजिक जीवन में रूपांतरित करता है।

अम्बेडकर के शब्दों में लोकतंत्र केवल शासन का रूप नहीं, बल्कि संयुक्त सामाजिक अनुभव की पद्धति है।⁸

यहीं से उनके राष्ट्रवाद की मौलिकता सामने आती है।

राष्ट्र केवल राजनीतिक समुदाय नहीं है; वह साझा सामाजिक अनुभव का समुदाय भी है।

⁸Ibid., 72.

10. जाति और “राष्ट्रीय निष्ठा”

Annihilation of Caste में अम्बेडकर जातिगत निष्ठा को व्यापक राष्ट्रीय निष्ठा के लिए समस्या मानते हैं। वे यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या जातिगत हितों के कारण लोगों ने अपने देश के हितों के साथ विश्वासघात नहीं किया है।⁹

यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अम्बेडकर यहाँ जाति को केवल सामाजिक अन्याय के रूप में नहीं देख रहे हैं।

वे उसे राष्ट्रीय एकता की समस्या के रूप में देख रहे हैं।

इसलिए जाति-उन्मूलन उनके लिए राष्ट्र-विरोधी कार्यक्रम नहीं है।

इसके विपरीत—जाति का उन्मूलन ही व्यापक राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण की पूर्वशर्त है।

11. सामाजिक लोकतंत्र : राजनीतिक लोकतंत्र की पूर्वशर्त

अम्बेडकर का सामाजिक लोकतंत्र का विचार उनके राष्ट्रवाद को सबसे स्पष्ट रूप देता है।

25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने कहा कि भारत केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं रह सकता; राजनीतिक लोकतंत्र के आधार में सामाजिक लोकतंत्र होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को ऐसी जीवन-पद्धति के रूप में परिभाषित किया जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को

⁹Ibid., 72.

जीवन के सिद्धांत मानती है। संविधान सभा की आधिकारिक कार्यवाही में यह भाषण Vol. XI, p. 979 पर दर्ज है।¹⁰

यहाँ राष्ट्रवाद का प्रश्न लोकतंत्र के प्रश्न में समाहित हो जाता है।

राजनीतिक राष्ट्र तभी स्थायी हो सकता है जब उसके नागरिकों के बीच सामाजिक समानता और बंधुत्व विकसित हो।

12. “विरोधाभासों का जीवन”

अम्बेडकर ने उसी भाषण में स्वतंत्र भारत के सामने उपस्थित विरोधाभास की ओर संकेत किया।

राजनीतिक जीवन में नागरिक समान होंगे—एक व्यक्ति, एक मत।

लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में जन्म और संपत्ति के कारण असमानताएँ बनी रह सकती थीं।

इस स्थिति में राजनीतिक समानता और सामाजिक असमानता का तनाव लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता था।¹¹

यह अम्बेडकर के राष्ट्रवाद का केंद्रीय बिंदु है।

राष्ट्र केवल वह राजनीतिक व्यवस्था नहीं है जिसमें नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है।

राष्ट्र वह सामाजिक व्यवस्था भी है जिसमें नागरिक एक-दूसरे को समान मनुष्य मानते हैं।

¹⁰Constituent Assembly of India, Constituent Assembly Debates, vol. XI (New Delhi: Lok Sabha Secretariat, 1989), 979, speech of B. R. Ambedkar, 25 November 1949. इस पृष्ठ-संख्या की स्वतंत्र पुष्टि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में उद्धृत Constituent Assembly Debates के संदर्भ से भी होती है।

¹¹Ambedkar, Constituent Assembly Debates, vol. XI, 979.

13. सामाजिक लोकतंत्र और राष्ट्र-निर्माण

अम्बेडकर की दृष्टि में सामाजिक लोकतंत्र राष्ट्र-निर्माण का सामाजिक आधार है।

इसे इस प्रकार समझा जा सकता है—

जाति-विरोध → सामाजिक समानता → बंधुत्व → सामाजिक लोकतंत्र → समान नागरिकता → संवैधानिक राष्ट्र।

यह क्रम बताता है कि अम्बेडकर के चिंतन में सामाजिक न्याय और राष्ट्रवाद दो अलग-अलग विषय नहीं हैं।

सामाजिक न्याय राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार है।

14. Who Were the Shudras? और भारतीय अतीत

अम्बेडकर के राष्ट्रवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनके भारतीय इतिहास के प्रति दृष्टिकोण में दिखाई देती है।

उन्हें भारतीय परंपरा का सरल अस्वीकारक मानना ऐतिहासिक रूप से पर्याप्त नहीं होगा।

Who Were the Shudras? इसका महत्वपूर्ण प्रमाण है।

इस ग्रंथ में अम्बेडकर वैदिक और महाभारतीय स्रोतों का उपयोग करते हुए शूद्रों की उत्पत्ति का ऐतिहासिक प्रश्न उठाते हैं।

उनका मुख्य प्रतिपादन तीन बिंदुओं में है—

शूद्र आर्य थे; शूद्र क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थे; प्राचीन आर्य समुदायों के कुछ प्रभावशाली राजा शूद्र थे।¹²

यह प्रतिपादन BAWS Vol. 7, p. 133 पर स्पष्ट रूप से दर्ज है।

15. शूद्रों के इतिहास की अम्बेडकरी व्याख्या

अम्बेडकर के अनुसार शूद्रों की वर्तमान सामाजिक स्थिति को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक अवनयन की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है।

वे शूद्रों को मूलतः क्षत्रिय समूह से जोड़ते हैं और ब्राह्मणों तथा शूद्र क्षत्रियों के बीच संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मानते हैं।

उनके सिद्धांत के अनुसार उपनयन से वंचित किया जाना इस अवनयन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण था।

यहाँ अम्बेडकर का इतिहास-बोध वर्तमान सामाजिक संरचना की ऐतिहासिक व्याख्या का साधन बनता है।

वे इतिहास इसलिए नहीं लिखते कि अतीत का गौरव स्थापित किया जा सके।

वे इतिहास का उपयोग यह पूछने के लिए करते हैं—सामाजिक असमानता कैसे बनी?

16. अम्बेडकर की स्रोत-पद्धति

Who Were the Shudras? की अकादमिक विशेषता केवल उसका निष्कर्ष नहीं है।

¹²B. R. Ambedkar, Who Were the Shudras? How They Came to Be the Fourth Varna in the Indo-Aryan Society, in Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, vol. 7 (Mumbai: Education Department, Government of Maharashtra, 1990), 133.

अम्बेडकर अपने सिद्धांत के समर्थन में महाभारत सहित प्राचीन स्रोतों का उपयोग करते हैं। उदाहरणतः वे Shanti Parvan में Paijavana से संबंधित प्रसंग को अपने तर्क का प्राथमिक प्रमाण बनाते हैं और साथ ही उपलब्ध पाठ की प्रामाणिकता तथा विभिन्न पाठ-परंपराओं पर विचार करते हैं।¹³

इससे स्पष्ट है कि अम्बेडकर भारतीय अतीत को केवल धार्मिक आस्था के आधार पर नहीं, बल्कि आलोचनात्मक ऐतिहासिक प्रश्नों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे थे।

इस दृष्टि से उनका इतिहास-बोध आलोचनात्मक पुनर्पाठ है।

17. आर्य प्रश्न और अम्बेडकर

अम्बेडकर ने उस समय प्रचलित आर्य-आक्रमण अथवा आर्य-बाह्य मूल संबंधी सिद्धांतों की आलोचना की और शूद्रों की उत्पत्ति की वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत की।

लेकिन अकादमिक रूप से यह सावधानी आवश्यक है कि उनके इस सिद्धांत को आज का निर्विवाद ऐतिहासिक निष्कर्ष न कहा जाए।

उचित अकादमिक निष्कर्ष यह है कि—अम्बेडकर ने भारतीय सामाजिक इतिहास की व्याख्या के लिए एक वैकल्पिक ऐतिहासिक प्रतिमान प्रस्तुत किया, जिसमें शूद्रों की सामाजिक अवनति को भारतीय समाज के आंतरिक शक्ति-संबंधों से समझने का प्रयास किया गया।

यह उनके राष्ट्रवाद के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भारतीय समाज के ऐतिहासिक विखंडन को समझे बिना आधुनिक राष्ट्र के निर्माण को संभव नहीं मानते।

¹³Ambedkar, Who Were the Shudras?, 133-134. अम्बेडकर इसी स्थान पर Mahabharata, Shanti Parvan में Paijavana के संदर्भ को अपने तर्क के प्रमुख प्रमाण के रूप में लेते हैं और पाठ की प्रामाणिकता पर भी विचार करते हैं।

18. राष्ट्रवाद और प्रतिनिधित्व

अम्बेडकर के राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण आयाम प्रतिनिधित्व है।

1931 के गोलमेज सम्मेलन के लिए प्रस्तुत उनके ज्ञापन में “Depressed Classes” के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग स्पष्ट रूप से सामने आती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिन लोगों के नाम पर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उनके प्रतिनिधि वास्तव में उन्हीं समुदायों से आने चाहिए।¹⁴

यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है—राष्ट्र की एकता का अर्थ बहुमत का प्रभुत्व नहीं है।

यदि राष्ट्र के भीतर किसी समूह को राजनीतिक निर्णयों से बाहर रखा जाता है, तो केवल संवैधानिक बहुमत राष्ट्रीय एकता की गारंटी नहीं दे सकता।

19. बहुमतवाद की अम्बेडकरी आलोचना

अम्बेडकर का बहुमत-विरोध लोकतंत्र-विरोध नहीं था।

इसके विपरीत, वे लोकतंत्र को अधिक वास्तविक बनाना चाहते थे।

उनकी समस्या उस “बहुमत” से थी जो स्थायी सामाजिक बहुमत में बदल जाए।

आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में वात्सल नरेश ने इसी पक्ष को अम्बेडकर की “majoritarian domination” की आलोचना के रूप में विकसित किया है। उनके अनुसार जाति सामाजिक बहुमत को

¹⁴B. R. Ambedkar and R. Srinivasan, “Supplementary Memorandum Submitted to the Second Session of the Round Table Conference on Behalf of the Untouchables,” in Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, vol. 9 (Mumbai: Education Department, Government of Maharashtra, 1990), 304-305 [BAWS pagination: 333-335]. ज्ञापन में Depressed Classes के लिए विशेष प्रतिनिधित्व और अपने समुदाय से प्रतिनिधियों के चुनाव की मांग की गई थी।

स्थायी और बंद बहुमत में बदल सकती है, जिससे लोकतांत्रिक परिवर्तन की संभावना कम हो जाती है।¹⁵

इस प्रकार अम्बेडकर का राष्ट्रवाद बहुमत की सत्ता से अधिक नागरिक समानता पर आधारित है।

20. States and Minorities : संवैधानिक राष्ट्रवाद

States and Minorities अम्बेडकर के संवैधानिक राष्ट्रवाद को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है।

इस दस्तावेज में वे मौलिक अधिकारों, प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था के प्रश्नों पर विस्तार से विचार करते हैं।

विशेष रूप से वे अनुसूचित जातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक सुरक्षा की व्यवस्था चाहते थे।¹⁶

BAWS Vol. 1 में वे यह स्पष्ट करते हैं कि केवल सामान्य संवैधानिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है; अनुसूचित जातियों के अधिकारों को संविधान में प्रभावी रूप से सुरक्षित करना आवश्यक है।¹⁷

यहाँ संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं है।

वह सामाजिक रूपांतरण का संस्थागत साधन है।

¹⁵Naresh, "Problems of an Other's Making," 1634-1648.

¹⁶B. R. Ambedkar, "States and Minorities," in Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, vol. 1 (Mumbai: Education Department, Government of Maharashtra, 1979), 401 ff.

¹⁷Ambedkar, "States and Minorities," 428-429 [BAWS pagination 443-444], जहाँ अनुसूचित जातियों के अधिकारों को संविधान में सुरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई है.

21. अधिकार और राष्ट्र

अम्बेडकर के लिए नागरिक अधिकारों की रक्षा राष्ट्र की एकता के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके पक्ष में है।

यह दृष्टि महत्वपूर्ण है।

सामान्य राष्ट्रवादी तर्क में कभी-कभी राष्ट्रीय एकता और अल्पसंख्यक अधिकारों को परस्पर विरोधी मान लिया जाता है।

अम्बेडकर का चिंतन इसके विपरीत है।

वे मानते हैं कि यदि अल्पसंख्यक अथवा वंचित समुदाय स्वयं को राज्य के भीतर सुरक्षित और समान नहीं समझते, तो राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है।

इसलिए संवैधानिक सुरक्षा राष्ट्रीय एकता को विभाजित नहीं करती; वह उसे मजबूत करती है।

22. भाषायी राज्य और भारतीय एकता

अम्बेडकर का Thoughts on Linguistic States राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उनका तर्क है कि लोकतांत्रिक राज्य के लिए “fellow-feeling” अर्थात् परस्पर आत्मीयता आवश्यक है।

वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह fellow-feeling स्थिर और लोकतांत्रिक राज्य की नींव है।¹⁸

यहाँ उनकी चिंता केवल भाषा नहीं है।

¹⁸B. R. Ambedkar, “Thoughts on Linguistic States,” in Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, vol. 1 (Mumbai: Education Department, Government of Maharashtra, 1979), 144 [BAWS digital pagination 159].

उनका मूल प्रश्न है—विविध भाषायी समुदायों के बीच लोकतांत्रिक राजनीतिक जीवन कैसे संचालित होगा?

इसी संदर्भ में वे “one State, one language” की उपयोगिता पर विचार करते हैं।

23. “One State, One Language” का सही अर्थ

अम्बेडकर के “one State, one language” सूत्र को “one nation, one language” के समान समझना गंभीर व्याख्यात्मक भूल होगी।

वे पूरे भारत को एक भाषा के आधार पर संगठित करने की बात नहीं कर रहे थे।

उनका तर्क प्रशासनिक और लोकतांत्रिक स्तर पर भाषायी राज्यों के पक्ष में था।

अर्थात्—एक राष्ट्र के भीतर अनेक भाषायी राज्य हो सकते हैं।

इस प्रकार वे भारतीय राष्ट्रीय एकता और भाषायी विविधता के बीच संतुलन की खोज करते हैं।

उनकी चिंता यह थी कि क्षेत्रीय भाषायी पहचान राष्ट्रीय नागरिकता को विस्थापित न कर दे।

24. “Indians First and Indians Last”

Thoughts on Linguistic States में अम्बेडकर भारतीय एकता को सर्वोच्च राजनीतिक पहचान के रूप में देखने की चिंता व्यक्त करते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि यदि क्षेत्रीय भाषायी पहचान राष्ट्रीय पहचान पर हावी हो गई तो भारत विभिन्न प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीयताओं में विभाजित हो सकता है।¹⁹

यहाँ उनका राष्ट्रवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

¹⁹Ambedkar, “Thoughts on Linguistic States,” 146 [BAWS digital pagination 161].

उनके लिए—क्षेत्रीय पहचान स्वीकार्य है; राष्ट्रीय पहचान का विघटन स्वीकार्य नहीं।

इसलिए उनका राष्ट्रवाद सांस्कृतिक एकरूपता का राष्ट्रवाद नहीं है।

यह संवैधानिक राजनीतिक एकता का राष्ट्रवाद है।

25. राष्ट्रवाद और संविधान

अम्बेडकर के राष्ट्रवाद का अंतिम और सर्वाधिक परिपक्व रूप संविधान सभा में दिखाई देता है।

संविधान उनके लिए केवल सत्ता के संस्थानों को व्यवस्थित करने का दस्तावेज नहीं था।

वह व्यक्ति और राज्य के संबंध को पुनर्परिभाषित करता है।

वह नागरिक को जन्माधारित सामाजिक पहचान से ऊपर उठाकर समान अधिकारों वाला संवैधानिक व्यक्ति बनाता है।

इसलिए संविधानवाद अम्बेडकर के राष्ट्रवाद का संस्थागत रूप है।

26. 25 नवम्बर 1949 : राष्ट्र-निर्माण की निर्णायक चेतावनी

अम्बेडकर के 25 नवम्बर 1949 के भाषण में उनके राष्ट्रवाद का सार दिखाई देता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में बदलना होगा। सामाजिक लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आवश्यक हैं।²⁰

²⁰Ambedkar, Constituent Assembly Debates, vol. XI, 979.

इस भाषण का आधिकारिक पाठ Constituent Assembly Debates, Vol. XI, p. 979 में उपलब्ध है।²¹

अम्बेडकर की चिंता केवल संविधान को लागू करने की नहीं थी।

उनकी चिंता यह थी कि भारतीय समाज संविधान के मूल्यों को आत्मसात करेगा या नहीं।

यहीं “संवैधानिक राष्ट्रवाद” और “सामाजिक लोकतंत्र” एक-दूसरे से जुड़ते हैं।

27. राजनीतिक लोकतंत्र बनाम सामाजिक असमानता

अम्बेडकर के अनुसार भारत राजनीतिक रूप से एक लोकतंत्र स्थापित कर रहा था, लेकिन सामाजिक जीवन में graded inequality मौजूद थी।

यह विरोधाभास खतरनाक था।

क्योंकि यदि राजनीतिक समानता और सामाजिक असमानता के बीच अंतर बहुत अधिक हो जाए तो वंचित समूह राजनीतिक व्यवस्था की वैधता पर प्रश्न उठा सकते हैं।

इसलिए अम्बेडकर ने चेतावनी दी कि सामाजिक-आर्थिक असमानता को लंबे समय तक बनाए रखना राजनीतिक लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है।²²

यह तर्क आज के लोकतांत्रिक सिद्धांत में भी महत्वपूर्ण है।

²¹Constituent Assembly of India, Constituent Assembly Debates: Official Report, 25 November 1949, Vol. XI, 979. मूल सरकारी PDF में 25 नवम्बर 1949 की कार्यवाही उपलब्ध है.

²²Ambedkar, Constituent Assembly Debates, vol. XI, 979.

28. संवैधानिक नैतिकता

अम्बेडकर का राष्ट्रवाद केवल संस्थाओं पर निर्भर नहीं था।

संविधान अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि नागरिक और राजनीतिक नेतृत्व उसकी नैतिक भावना को स्वीकार न करें तो संस्थाएँ पर्याप्त नहीं होंगी।

इसलिए अम्बेडकर के संवैधानिक चिंतन में constitutional morality का महत्व है।

संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है—कानून का सम्मान, संस्थाओं की मर्यादा, बहुमत की सीमाओं की स्वीकृति, अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान, असहमति की वैधता, और नागरिक समानता।

इस अर्थ में संवैधानिक नैतिकता राष्ट्रवाद को भी नैतिक अनुशासन प्रदान करती है।

29. अम्बेडकर और धर्म

अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को समझते समय धर्म के प्रश्न की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

उनकी आलोचना धर्म की सामाजिक भूमिका से संबंधित थी, विशेषतः तब जब धार्मिक सिद्धांत सामाजिक असमानता को वैधता प्रदान करते हैं।

Annihilation of Caste में वे धर्म को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अनुकूल पुनर्गठित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।²³

इसलिए उनका प्रश्न केवल यह नहीं था कि धर्म होना चाहिए या नहीं।

²³ Ambedkar, "Annihilation of Caste," 92. अम्बेडकर धार्मिक व्यवस्था में पुरोहिताई को जन्माधारित विशेषाधिकार के स्थान पर योग्यता और राज्य-नियमन से जोड़ने का प्रस्ताव रखते हैं तथा धर्म के सिद्धांतों को Liberty, Equality and Fraternity के अनुरूप बनाने की बात करते हैं।

उनका प्रश्न था—धर्म का सामाजिक नैतिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है?

यदि धर्म मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, तो वह बंधुत्व का आधार बन सकता है।

यदि वह जन्माधारित असमानता को वैधता देता है, तो वह लोकतंत्र के विरुद्ध जा सकता है।

30. अम्बेडकर : भारतीय परंपरा के आलोचनात्मक पाठक

अम्बेडकर को केवल पश्चिमी उदारवाद के प्रतिनिधि के रूप में पढ़ना भी अधूरा होगा।

उन्होंने भारतीय ग्रंथों और ऐतिहासिक परंपराओं के साथ गंभीर बौद्धिक संवाद किया।

Who Were the Shudras? इसका प्रमाण है।

वे भारतीय अतीत को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की दो अतियों से बचते हुए उसके भीतर मौजूद सामाजिक शक्ति-संबंधों का विश्लेषण करते हैं।

इस दृष्टि से उनका राष्ट्रवाद न तो अतीत-पूजक है और न अतीत-विरोधी।

वह आलोचनात्मक सभ्यतागत पुनर्पाठ है।

31. अम्बेडकर का राष्ट्रवाद : नकारात्मक और सकारात्मक दोनों आयाम

अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को दो स्तरों पर समझा जा सकता है।

नकारात्मक आयाम – वे उन सामाजिक संरचनाओं की आलोचना करते हैं जो राष्ट्र-निर्माण में बाधा हैं: जाति; अस्पृश्यता; सामाजिक पदानुक्रम; स्थायी बहुमत; राजनीतिक बहिष्करण; जन्माधारित विशेषाधिकार।

सकारात्मक आयाम – वे वैकल्पिक राष्ट्रीय संरचना प्रस्तुत करते हैं: स्वतंत्रता; समानता; बंधुत्व; समान नागरिकता; प्रतिनिधित्व; संविधान; सामाजिक लोकतंत्र; संवैधानिक नैतिकता।

यही दोनों आयाम मिलकर उनके राष्ट्रवाद को पूर्ण बनाते हैं।

32. क्या अम्बेडकर का राष्ट्रवाद केवल दलित राष्ट्रवाद था?

यह प्रश्न गंभीर अकादमिक परीक्षण की मांग करता है।

अम्बेडकर का राजनीतिक संघर्ष दलितों के अधिकारों से गहराई से जुड़ा था। उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक सुरक्षा और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया।

लेकिन उनके तर्कों को केवल “एक समुदाय के हित” तक सीमित कर देना उनके चिंतन को छोटा कर देता है।

उन्होंने जो प्रश्न उठाया वह सार्वभौमिक था—क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक की सामाजिक स्थिति उसके जन्म से निर्धारित हो सकती है?

यदि इसका उत्तर नहीं है, तो उनका प्रश्न पूरे राष्ट्र से संबंधित हो जाता है।

इसीलिए अम्बेडकर का दलित मुक्ति आंदोलन अंततः भारतीय लोकतंत्र के स्वरूप पर प्रश्न बन जाता है।

33. राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय का संबंध

अम्बेडकर की सबसे महत्वपूर्ण मौलिकता यह है कि उन्होंने राष्ट्रवाद को सामाजिक न्याय से अलग नहीं किया।

उनके लिए राष्ट्रवाद का अर्थ था—ऐसा राजनीतिक समुदाय जिसमें किसी व्यक्ति की नागरिकता उसके जन्म से कम या अधिक न हो।

इस दृष्टि से सामाजिक न्याय राष्ट्रवाद का विकल्प नहीं है।

वह राष्ट्रवाद की शर्त है।

34. अम्बेडकर के राष्ट्रवाद की सैद्धांतिक संरचना

अम्बेडकर के चिंतन को एक सैद्धांतिक क्रम में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

पहला चरण : सामाजिक विखंडन – जाति समाज को बंद समूहों में विभाजित करती है।

दूसरा चरण : बंधुत्व का संकट – बंद जातिगत समूह व्यापक सामाजिक आत्मीयता को कमजोर करते हैं।

तीसरा चरण : लोकतंत्र का संकट – राजनीतिक समानता सामाजिक असमानता से टकराती है।

चौथा चरण : संवैधानिक हस्तक्षेप – मौलिक अधिकार, प्रतिनिधित्व और कानून के शासन की स्थापना।

पाँचवाँ चरण : सामाजिक लोकतंत्र – स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सामाजिक जीवन में स्थापित करना।

छठा चरण : राष्ट्र-निर्माण – समान नागरिकों का साझा राजनीतिक समुदाय।

यही वह संरचना है जिसके आधार पर अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को सामाजिक-संवैधानिक राष्ट्रवाद कहा जा सकता है।

35. समकालीन अकादमिक विमर्श में अम्बेडकर

हाल के अकादमिक शोधों में अम्बेडकर को केवल सामाजिक सुधारक के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

राहुल गोविंद ने उनके 1941-48 के लेखन में बहुमतवाद, संवैधानिक डिजाइन और राजनीतिक पहचान के संबंध को रेखांकित किया है।²⁴

संतोष राउत ने अम्बेडकर के राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को जाति-विरोध तथा समतामूलक समाज से जोड़ते हुए इस बात पर बल दिया है कि उनका राष्ट्रवाद सामाजिक मुक्ति की परियोजना से जुड़ा था।²⁵

इस प्रकार आधुनिक शोध भी इस निष्कर्ष की ओर संकेत करता है कि अम्बेडकर को केवल “संविधान निर्माता” या “दलित नेता” की सीमित श्रेणी में रखना उनके राजनीतिक सिद्धांत को पर्याप्त रूप से नहीं समझता।

36. आलोचनात्मक मूल्यांकन

अम्बेडकर के राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी शक्ति उसका सामाजिक यथार्थवाद है।

उन्होंने यह मानकर नहीं चला कि राजनीतिक स्वतंत्रता अपने आप राष्ट्रीय एकता पैदा कर देगी।

उन्होंने पूछा कि भारतीय समाज की आंतरिक संरचना वास्तव में कितनी एकीकृत है।

उनकी दूसरी बड़ी शक्ति लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा है।

लोकतंत्र उनके लिए चुनाव नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों का नैतिक स्वरूप है।

²⁴Govind, “Anticipating the Threat of Democratic Majoritarianism,” 66-84.

²⁵Raut, “Liberating India,” 172-192.

तीसरी शक्ति संविधानवाद है।

वे बहुमत की सत्ता को अधिकारों और संवैधानिक संस्थाओं से नियंत्रित करना चाहते थे।

हालाँकि उनके कुछ ऐतिहासिक निष्कर्ष-विशेषकर शूद्रों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत-आज के इतिहासलेखन में आलोचनात्मक पुनर्परीक्षण की अपेक्षा रखते हैं।

इसी प्रकार उनके भाषायी राज्यों संबंधी कुछ निष्कर्षों को उनके समय की राजनीतिक परिस्थितियों में पढ़ना आवश्यक है।

लेकिन इन ऐतिहासिक सीमाओं से उनका मूल राजनीतिक प्रश्न कमजोर नहीं होता।

37. निष्कर्ष

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का राष्ट्रवाद भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक विशिष्ट स्थान रखता है।

उनके लिए राष्ट्र केवल भूगोल नहीं था। राष्ट्र केवल राज्य नहीं था। राष्ट्र केवल सांस्कृतिक स्मृति भी नहीं था।

राष्ट्र एक साझा सामाजिक और राजनीतिक जीवन का समुदाय था।

इस समुदाय की पहली शर्त थी-सामाजिक समानता। दूसरी-बंधुत्व। तीसरी-समान नागरिकता। चौथी-संवैधानिक शासन। और पाँचवीं-लोकतांत्रिक नैतिकता।

इसलिए अम्बेडकर की राष्ट्र-दृष्टि में जाति का उन्मूलन राष्ट्र-विरोधी नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माणकारी प्रक्रिया है।

उनके लिए संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक रूपांतरण का उपकरण है।

उनके लिए लोकतंत्र केवल मताधिकार नहीं, बल्कि “associated living” है।

और बंधुत्व केवल नैतिक सद्भावना नहीं, बल्कि राष्ट्र के अस्तित्व की सामाजिक शर्त है।

इस आधार पर अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को “सामाजिक-संवैधानिक राष्ट्रवाद” कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

इस अवधारणा में राष्ट्र की सफलता की कसौटी केवल यह नहीं है कि वह बाहरी सत्ता से स्वतंत्र है या नहीं।

उसकी वास्तविक कसौटी यह है कि—क्या उसके नागरिक एक-दूसरे को समान मनुष्य मानते हैं?

यदि उत्तर नकारात्मक है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद राष्ट्र-निर्माण अधूरा है।

यदि उत्तर सकारात्मक है, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान की संस्थाओं के माध्यम से एक जीवंत लोकतांत्रिक राष्ट्र का रूप ले सकते हैं।

यही अम्बेडकर के राष्ट्रवाद की केंद्रीय मौलिकता है।

संदर्भ-सूची / Bibliography

प्राथमिक स्रोत

Ambedkar, B. R. Annihilation of Caste. In Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches. Vol. 1. Mumbai: Education Department, Government of Maharashtra, 1979.

Ambedkar, B. R. States and Minorities: What Are Their Rights and How to Secure Them in the Constitution of Free India? In Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches. Vol. 1. Mumbai: Education Department, Government of Maharashtra, 1979.

Ambedkar, B. R. Thoughts on Linguistic States. In Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches. Vol. 1. Mumbai: Education Department, Government of Maharashtra, 1979.

Ambedkar, B. R. Who Were the Shudras? How They Came to Be the Fourth Varna in the Indo-Aryan Society. In Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches. Vol. 7. Mumbai: Education Department, Government of Maharashtra, 1990.

Ambedkar, B. R., and R. Srinivasan. "Supplementary Memorandum Submitted to the Second Session of the Round Table Conference on Behalf of the Untouchables." In Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches. Vol. 9. Mumbai: Education Department, Government of Maharashtra.

Constituent Assembly of India. Constituent Assembly Debates: Official Report. New Delhi: Lok Sabha Secretariat, 1989.

द्वितीयक स्रोत

Govind, Rahul. "Anticipating the Threat of Democratic Majoritarianism: Ambedkar on Constitutional Design and Ideology Critique, 1941-1948." Studies in Indian Politics 11, no. 1 (2023): 66-84. DOI: 10.1177/23210230231166196.

Naresh, Vatsal. "'Problems of an Other's Making': B. R. Ambedkar, Caste, and Majoritarian Domination." American Political Science Review 119, no. 4 (2025): 1634-1648.

Raut, Santosh I. "Liberating India: Contextualising Nationalism, Democracy and Dr Ambedkar." *Journal of Social Inclusion Studies* 5, no. 2 (2019): 172-192.

Rodrigues, Valerian, ed. *The Essential Writings of B. R. Ambedkar*. New Delhi: Oxford University Press, 2002.

Omvedt, Gail. *Ambedkar: Towards an Enlightened India*. New Delhi: Penguin Books India, 2004.

Jaffrelot, Christophe. *Dr Ambedkar and Untouchability: Analysing and Fighting Caste*. London: Hurst, 2005.

Zelliot, Eleanor. *From Untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar Movement*. New Delhi: Manohar, 1992.